

**कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)**

**-:: विविध आदेश ::-**

क्र.-124 / सी0जे0एम0 / 2023

सिवनी, दिनांक:-23 / 12 / 2023

मैं तेज प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अवकाश में समय 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था करता हूँ तथा यदि रिमाण्ड के दौरान कोई जमानत आवेदन पत्र या सुपुर्दनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, तो उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाएगा।

**सिवनी मुख्यालय -**

क्र0	न्यायिक अधिकारी	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय,	21/01/2024
2.	श्री निमिष राजा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	20/01/2024
3.	डॉ० श्रीमती संगीता पी० बर्वे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	14/01/2024
4.	सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	28/01/2024
5.	श्री अंशुल ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	15/01/2024
6.	श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	01/01/2024
7.	श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	07/01/2024
8.	श्री गोपाल नंदन पाल, जे.एम.एफ.सी. सिवनी,	26/01/2024

**तहसील लखनादौन, जिला सिवनी -**

क्र0	न्यायिक अधिकारी	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्रीमती चैनवती ताराम, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	01/01/2024 & 07/01/2024
2.	श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	20/01/2024 & 26/01/2024
3.	श्रीमती अनुदिता चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	21/01/2024 & 15/01/2024
4.	सुश्री सुमित्रा ताहेद, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन,	14/01/2024 & 28/01/2024

**तहसील घंसौर, जिला सिवनी -**

क्र0	न्यायिक अधिकारी	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्री अमरीश भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी. घंसौर जिला-सिवनी	माह जनवरी-2024 के समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।

**तहसील केवलारी, जिला सिवनी -**

क्र0	न्यायिक अधिकारी	रिमाण्ड दिनांक
1.	श्री प्रेमदीप शाह, जे.एम.एफ.सी. केवलारी, जिला-सिवनी	माह जनवरी-2024 के समस्त सार्वजनिक अवकाश एवं घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जावेगा।

**नोट:-**

1. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 द0प्र0सं0 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
2. उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करते हुए आपस में रिमाण्ड ड्यूटी बदल सकते हैं।

3. किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। उनके अवकाश या स्थानांतरण होने की दशा में किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य रिमाण्ड/प्रतिप्रेषण कार्य संपादित करेंगे। प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में अवकाश पर जाने की सूचना बोर्ड के सदस्य को आवश्यक रूप से देगे, दोनों के अनुपस्थिति में उस दिन रिमाण्ड ड्यूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी द्वारा किया जावेगा।
4. यदि किसी कारणवश **माह जनवरी-2024** में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो उस तिथि का सिवनी मुख्यालय का रिमाण्ड कार्य **श्रीमती डॉ. संगीता पी. बर्वे जे.एम.एफ.सी. सिवनी** निष्पादित करेंगे तथा लखनादौन मुख्यालय में **सुश्री सुमित्रा ताहेड़, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन** के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
5. तहसील न्यायालय घंसौर के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड ड्यूटी के अनुसार तहसील न्यायालय लखनादौन के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। यदि तहसील न्यायालय लखनादौन के पीठासीन अधिकारी/ मजिस्ट्रेट **किसी ठोस कारण से अवकाश** पर होने की स्थिति में दोनों तहसीलों के रिमाण्ड कार्य मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।
6. तहसील न्यायालय केवलारी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उक्त दिनांक को नियत रिमांड ड्यूटी के अनुसार जिला मुख्यालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा।

सही/—

(तेज प्रताप सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सिवनी (म०प्र०)

सिवनी, दिनांक:-23/12/2023

पृ.क्र.-.....( )/सी.जे.एम./2023

**प्रतिलिपि:-**

01. कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिवनी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी।
03. श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
04. श्री निमिष राजा, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
05. श्रीमती डॉ० संगीता पी० बर्वे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
06. सुश्री रंजना डोडवे, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
07. श्री अंशुल ताम्रकार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
08. श्री केशव कुमार, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
09. श्रीमती तनु गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
10. श्री गोपाल नंदन पाल, जे.एम.एफ.सी. सिवनी।
11. श्रीमती चैनवती ताराम, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन जिला सिवनी।
12. श्रीमती प्रेमलता बोराना, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन जिला सिवनी।
13. श्रीमती अनुदिता चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन जिला सिवनी।
14. सुश्री सुमित्रा ताहेड़, जे.एम.एफ.सी. लखनादौन जिला सिवनी।
15. श्री अमरीश भारद्वाज, जे.एम.एफ.सी. घंसौर, जिला सिवनी।
16. श्री प्रेमदीप शाह, जे.एम.एफ.सी. केवलारी, जिला सिवनी।
17. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी की ओर सूचनार्थ।
18. पुलिस अधीक्षक सिवनी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिवनी जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
19. जिला नाजिर, जिला न्यायालय सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी, जिला सिवनी को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
20. सिस्टम ऑफिसर, सर्वर रूम जिला न्यायालय सिवनी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
21. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ सिवनी/लखनादौन/घंसौर/केवलारी, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।

(तेज प्रताप सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सिवनी (म०प्र०)